पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की वर्षांत समीक्षा (2024)

1	सामान्य
1.1	**माननीय प्रधानमंत्री ने वाराणसी में हरित जलमार्ग पहल का उद्घाटन किया**
	23 फरवरी, 2024 को दो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामारन जलयान राष्ट्र को समर्पित किये गये। अयोध्या में सरयू नदी और वाराणसी में गंगा नदी में परिचालन के लिए डिज़ाइन किए गए ये जलयान, स्थायी परिवहन समाधानों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के प्रमाण हैं। तेज़ गति से चार्ज होने वाली बैटरियों से चलने वाले इन जलयानों का उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते हुए कार्बन उत्सर्जन को काफ़ी हद तक कम करना है।
1.2	माननीय प्रधानमंत्री ने मंत्रालय की परियोजनाओं का अनावरण किया
1.2.1	**28 फरवरी, 2024** को तूतीकोरिन में 10,324 करोड़ रु. की लागत वाली विविध परियोजनाओं का अनावरण किया गया। मुख्य आकर्षण में शामिल हैं: • वीओसी पत्तन पर आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल परियोजना, जो इसे पूर्वी तट पर लंबे समय से प्रतीक्षित ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में स्थापित करेगी। • '75 दीपस्तंभों पर पर्यटन सुविधाओं' के विकास का समर्पण। • सीएसएल द्वारा निर्मित भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल जलयानों को हरी झंडी दिखाई गई। वीओसी पत्तन को भारत के पहले हाइड्रोजन हब पत्तन के रूप में प्रदर्शित किया गया।
1.2.2	**1 मार्च, 2024** को माननीय प्रधान मंत्री ने "विकसित भारत" के तत्वावधान में एसएमपी, कोलकाता में 960 करोड़ रु. से अधिक की लागत की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया: • ज्वलनशील तरल कार्गो के सुरक्षित संचालन के लिए हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स में तेल जेटी के लिए अत्याधुनिक सेंसर तकनीक से युक्त स्वचालित अग्नि शमन प्रणाली का उद्घाटन। • हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स में रेल माउंटेड क्वे क्रेन का उद्घाटन, जो 40 टन भार संभालने में सक्षम है और जिससे पत्तन की हैंडलिंग क्षमता में सालाना 2.5 लाख टन की वृद्धि होने की संभावना है। • कोलकाता डॉक सिस्टम के तहत नेताजी सुभाष डॉक पर बर्थ 7 और 8 के कंटेनर हैंडलिंग, संवर्द्धन और मशीनीकरण के लिए समर्पित एक परियोजना की आधारशिला रखी गई।
1.3	**भारत-मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरीडोर**
	केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर-सरकारी रूपरेखा समझौते (आईजीएफए) को पूर्वव्यापी मंजूरी दे दी है। इस समझौते पर भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच भारत-मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरीडोर (आईएमईसी) के सशक्तीकरण और संचालन के लिए सहयोग पर उच्च स्तरीय यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। आईजीएफए का उद्देश्य पत्तनों, समुद्री और लॉजिस्टिक क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।

1.4	**विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक (एलपीआई) रिपोर्ट - 2023 अप्रैल 2023 में जारी की गई**
1.4.1	अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में भारत 22वें स्थान पर है, जबकि 2014 में यह 44वें स्थान पर था।
1.4.2	औसत कंटेनर ठहराव समय घटकर 3 दिन रह गया है, जबकि संयुक्त अरब अमीरात और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में यह 4 दिन, अमेरिका में 7 दिन और जर्मनी में 10 दिन है।
1.4.3	भारतीय पत्तनों का "टर्न अराउंड टाइम" घटकर 0.9 दिन रह गया है, जो अमेरिका (1.5 दिन), ऑस्ट्रेलिया (1.7 दिन), सिंगापुर (1.0 दिन) आदि से बेहतर है।
1.5	**भारत सर्वाधिक सीटों के साथ द्विवार्षिक 2024-25 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद में पुनः निर्वाचित**
	भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ), लंदन की परिषद में 'अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे बड़ी रुचि' वाले 10 सदस्य देशों की श्रेणी में फिर से चुना गया है। चुनाव के दौरान डाले गए 163 वैध मतों में से भारत को 157 मत मिले, जो निर्वाचित सभी देशों में सबसे अधिक है। परिषद के चुनाव लंदन में आईएमओ असेंबली के 33वें सत्र के दौरान 01.12.2023 को गुप्त मतदान द्वारा आयोजित किए गए थे। परिषद का कार्यकाल द्विवार्षिक 2024-25 के लिए होगा।
1.6	**20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद**
	माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री की अध्यक्षता में 12 और 13 सितंबर, 2024 को गोवा में 20वीं एमएसडीसी बैठक आयोजित की गई थी और इसमें मंत्रालय/आधिकारिक स्तर पर समुद्री राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भागीदारी की थी। बैठक के दौरान, विभिन्न राज्यों के 100 से अधिक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया और इनका सफलतापूर्वक समाधान किया गया। कई नई और उभरती चुनौतियों का भी समाधान किया गया, जिसमें संकट में फंसे पोतों के लिए शरण स्थल (पीओआर) की स्थापना करना, सुरक्षा बढ़ाने के लिए पत्तनों पर रेडियोधर्मी जांच उपकरण (आरडीई) अवसंरचना का विकास और नाविकों को प्रमुख आवश्यक श्रमिकों के रूप में मान्यता देकर उनकी सुविधा सुनिश्चित करना, काम करने की बेहतर स्थिति और तट पर छुट्टी तक पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है।
1.7	**वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए**
	वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और श्री सर्बानंद सोणोवाल की उपस्थिति में 30,000 करोड़ रु. से अधिक मूल्य के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।
1.8	दिनांक 26.01.2024 को, **75वें गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान,** पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा माननीय प्रधान मंत्री के विज़न के अनुरूप अपनी झांकी का अनावरण किया गया था, जोकि पत्तन-आधारित विकास से उत्प्रेरित विज़नरी सागरमाला कार्यक्रम का एक दृश्य प्रस्तुत करती है। इस प्रमुख कार्यक्रम से पत्तनों पर टर्नअराउंड समय में काफी कमी आई है और कार्गो हैंडलिंग दक्षता बढ़ गई है। इस मंत्रालय की लैंगिक समावेशिता के प्रति प्रतिबद्धता को प्रमुखता से दर्शाते हुए, झांकी के सामने वाले हिस्से में पिछले 9 वर्षों में महिला नाविकों की संख्या में उल्लेखनीय 1100% की वृद्धि को दर्शाया गया। यह **"ब्ल्यू इकॉनोमी की संचालक नारी शक्ति"** का प्रतीक है, जो **"सागर सम्मान"** पहल का एक केंद्रीय विषय है।

1.9	शैक्षणिक अनुसंधान और मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स विकास को संपोषित करने, विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए, के लिए, दिनांक 23.02.2024 को आईआईएम शिलांग में **गति शक्ति अनुसंधान पीठ** की स्थापना की गई।
1.10	**पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में विभास और नाविक कार्यात्मक प्रकोष्ठों का गठन**
	विकसित भारत की दिशा में काम करने के लिए मंत्रालय के वृहद उद्देश्यों की प्रभावी निगरानी और कार्यान्वयन के लिए विषय आधारित केंद्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता को पहचानते हुए, जैसाकि समुद्री भारत विजन 2030 (एमआईवी 2030) और समुद्री अमृतकाल विजन 2047 (एमएकेवी 2047) में सूचीबद्ध है, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कुल 20+ विकसित भारत संकल्प (विभास) प्रकोष्ठों और नील अर्थ विजन कार्यान्वयन प्रकोष्ठों (एनएवीआईसी) का गठन किया। ये प्रकोष्ठ यातायात-कार्गो, परियोजना योजनाओं और पीपीपी, पोत निर्माण-मरम्मत-पुनर्चक्रण, समुद्री वित्त, प्रौद्योगिकी, कानूनी, मानव संसाधन आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों को कवर करते हैं और इनका दो-स्तरीय ढांचा है जिसमें समीक्षा, निगरानी और समन्वय के लिए विभास के सदस्य मुख्य रुप से मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं जबकि एनएवीआईसी के सदस्य, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन विभिन्न संगठनों (महापत्तनों, डीजीएस, आईडब्ल्यूएआई आदि) से होते हैं, जो कार्यान्वयन पर ध्यान देते हैं।
1.11	**सरकारी ई-बाज़ार स्थान (जीईएम)**
	वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, इस मंत्रालय के संगठनों द्वारा जीईएम पोर्टल के माध्यम से कुल खरीद लक्षित राशि 1624.14 करोड़ रु. के मुकाबले लगभग 2754.13 करोड़ रु., अर्थात लक्ष्य से 170% अधिक रही है। 2022-23 के दौरान 577 करोड़ रु. की खरीद से तुलना करने पर यह वृद्धि 377% बैठती है।
1.12	**नई पहलें: राज्य समुद्री एवं जलमार्ग परिवहन समितियां**
	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने समुद्री/जलमार्ग क्षेत्र में विभिन्न पहलों और योजनाओं के कार्यान्वयन में समन्वय स्थापित करने के लिए,संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव/अपर प्रधान सचिव की अध्यक्षता में राज्य समुद्री और जलमार्ग परिवहन समितियों (एसएमडब्ल्यूटीसी) का गठन किया है। 12 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, पुदुच्चेरी, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में एसएमडब्ल्यूटीसी का गठन कर लिया गया है। शेष 18 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एसएमडब्ल्यूटीसी का गठन किया जा रहा है और अनुमोदन के विभिन्न चरणों में है।
1.13	**तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल (टीआईसीटी)**
	माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री द्वारा 16 सितंबर, 2024 को वी.ओ. चिदंबरनार पत्तन प्राधिकरण (वीओसीपीए) में टीआईसीटी को राष्ट्र को समर्पित किया गया। उन्होंने प्रमुख अवसंरचनागत परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया और साथ ही कई पहलों की आधारशिला रखी तथा टीआईसीटी से पहले कंटेनर जलयान को हरी झंडी दिखाई। इस टर्मिनल को 434 करोड़ रु. से अधिक के निवेश से विकसित किया गया है, जिसकी सालाना 6 लाख टीईयू को संभालने की क्षमता है। माननीय प्रधान मंत्री ने वीडियो संदेश के माध्यम से टीआईसीटी के उद्घाटन को संबोधित किया।
1.14	**क्रूज भारत मिशन**

	माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने 30 सितंबर, 2024 को मुंबई पत्तन प्राधिकरण से 'क्रूज़ भारत मिशन' की शुरुआत की। इस मिशन का उद्देश्य देश में क्रूज पर्यटन की जबरदस्त संभावनाओं को बढ़ावा देना है। यह परिकल्पना की गई है कि इस मिशन के तहत गतिविधियों से पाँच वर्षों के भीतर अर्थात 2029 तक क्रूज यात्री यातायात को दोगुना करके देश के क्रूज पर्यटन उद्योग को आगे बढ़ाया जाएगा।
1.15	**पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के नए ब्रांड एंबेसडर**
	17 सितंबर, 2024 को माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने घोषणा की कि पेरिस में 2024 में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में निशानेबाजी में डबल ओलंपिक पदक विजेता, सुश्री मनु भाकर को मंत्रालय का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया है। निशानेबाजी की यह दिग्गज खिलाड़ी एक मरीन इंजीनियर की बेटी हैं।
1.16	**उत्पादकता से जुड़े पुरस्कार (पीएलआर) योजना**
	मंत्रिमंडल ने दिनांक 03.10.2024 की बैठक में वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक पीएलआर के भुगतान के लिए महापत्तन और गोदी कर्मचारियों के लिए नई पीएलआर योजना के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। सरकार के इस निर्णय से महापत्तनों के 20,000 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को लाभ हुआ है।
1.17	**एनएमएचसी परियोजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी**
	केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 09.10.2024 को गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (एनएमएचसी) के विकास को मंजूरी दी। एनएमएचसी (राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर) परियोजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास, विरासत और एक समुद्री शक्ति के रूप में इसकी कार्यनीतिक स्थिति को समर्पित एक विश्व स्तरीय समुद्री संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण करना है। यह परियोजना गुजरात के लोथल में स्थापित की जाएगी, जो ऐतिहासिक महत्व का स्थल है और हड़प्पा युग का एक संपन्न पत्तन था।
1.18	**प्रथम भारत समुद्री विरासत सम्मेलन – 2024**
	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 11-12 दिसंबर, 2024 को देश का पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन-2024 (आईएमएचसी-2024) आयोजित किया। इस प्रतिष्ठित सम्मेलन में भारत की शानदार समुद्री विरासत और वैश्विक व्यापार, संस्कृति और नवाचार में इसके गहन योगदान का उत्सव मनाया गया। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन ने दुनिया भर से मंत्रियों, विशेषज्ञों और गणमान्य व्यक्तियों को एक साथ एकत्रित किया और इस सम्मेलन ने संवाद और सहयोग के एक जीवंत मंच का कार्य किया, जिसमें भारत की स्थायी समुद्री विरासत और वैश्विक समुद्री स्वरूप को आकार देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि हुई।
1.19	**गलाथिया खाड़ी, ग्रेट निकोबार द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पत्तन (आईसीटीपी)**

	भारतीय पूर्वी तट, बांग्लादेश और म्यांमार के पत्तनों से ट्रांसशिपमेंट कार्गो प्राप्त करने के लिए गलाथिया खाड़ी, ग्रेट निकोबार द्वीप में मेगा ट्रांसशिपमेंट पत्तन के विकास की परिकल्पना की गई है, जिससे इस क्षेत्र की कार्गो हैंडलिंग क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। पत्तन का लक्ष्य 2028 तक 4 एमटीईयू और 2058 तक 16 एमटीईयू को हैंडल करना है। यह परियोजना कुल 43,796 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से चार चरणों में विकसित की जाएगी। इस परियोजना से निर्माण चरण के दौरान 3,500 श्रमिकों के लिए रोजगार सृजित होगा और एक बार कार्यशील होने पर इससे 1,700 प्रत्यक्ष रोजगार और 350 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। इस परियोजना को 77वें नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप में भी शामिल किया गया है और इसे भारत में एक महापत्तन के रूप में अधिसूचित किया गया है।
2	**पत्तन**
2.1	**पत्तन निष्पादन**
2.1.1	महापत्तनों पर पिछले दशक में कार्गो हैंडलिंग क्षमता दोगुनी हो गई है (मार्च 2024 तक यह 1,630 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) तक पहुँच गई, जबकि 2014 में यह 800.5 एमटीपीए थी)। वर्तमान में भारतीय पत्तनों (महापत्तनों और महापत्तनों के अलावा अन्य पत्तनों सहित) पर कार्गो हैंडलिंग क्षमता 2690 एमएमटीपीए है। **मैरीटाइम इंडिया विजन 2030** और **अमृत काल विजन 2047** में इसे 2030 तक >3,500 एमएमटीपीए और 2047 तक 10000 एमटीपीए तक बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।
2.1.2	चालू वित्त वर्ष (अप्रैल-नवंबर 2024) में, भारतीय महापत्तनों ने पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 535.61 मिलियन टन की तुलना में पहले ही लगभग 549.47 मिलियन टन कार्गो, यानी 2.59% की वृद्धि, का संचालन किया है।
2.1.3	अब तक 32,000 करोड़ रु. से अधिक की लागत की 98 पत्तन आधुनिकीकरण परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिससे वार्षिक पत्तन क्षमता में 230 एमटीपीए से अधिक की वृद्धि हुई है।
2.1.4	दक्षता के संदर्भ में, देश के महापत्तनों में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिसे विश्व स्तर पर स्वीकार किया गया है। • 2023 में प्रकाशित विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक (एलपीआई) रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 2023 में 139 देशों में से 38वां स्थान हासिल किया है, जो 2018 में 44वें और 2014 में 54वें स्थान से बेहतर है। • रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने पत्तनों पर लगभग 2.6 दिनों का कम औसत ठहराव समय प्राप्त किया है, जो कई विकसित देशों की तुलना में प्रतिस्पर्धी है। • महापत्तनों का टर्न अराउंड टाइम (टीआरटी) वित्त वर्ष 2013-14 में लगभग 94 घंटे से घटकर वित्त वर्ष 2023-24 में केवल 48.06 घंटे रह गया है। वित्त वर्ष 2014-15 की तुलना में औसत पोत बर्थ डे आउटपुट और कार्गो हैंडलिंग क्षमता में क्रमशः 52% और 87% का सुधार हुआ है। • भारत के महापत्तनों में दोहरे अंकों की वार्षिक वृद्धि देखी जा रही है और हाल ही में विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार, भारत वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में 44वें स्थान से 2023 में 22वें स्थान पर पहुंच गया है। शिपमेंट डिलीवरी की समयबद्धता में, देश ने 2018 में 52 से 2023 में 35वें स्थान पर आकर 17 स्थान की छलांग लगाई है।

2.2	**महाराष्ट्र में दहानु के पास वधावन में महापत्तन**
	भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 30.08.2024 को वधावन पत्तन का शिलान्यास समारोह भारत के समुद्री और पत्तन अवसंरचना के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 76,000 करोड़ रु. की अनुमानित लागत वाली यह परियोजना पत्तन के अवसंरचना में सुधार, लॉजिस्टिक्स दक्षता में वृद्धि और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, विशेष रूप से भारत के पश्चिमी क्षेत्र में, के भारत के प्रयासों का हिस्सा है।
2.3	**सागर आंकलन दिशा-निर्देश**
	16 फरवरी, 2024 को पेश किए गए **"सागर आंकलन"** दिशा-निर्देशों का उद्देश्य भारतीय पत्तनों के निष्पादन की बैंचमार्किंग करना और इनमें सुधार लाना है। ये दिशा-निर्देश पत्तन क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स दक्षता को बढ़ावा देने, वैश्विक मानकों के साथ संरेखित करने और प्रतिस्पर्धात्मकता एवं ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने के लिए तैयार किए गए हैं।
2.4	**शाहिद बेहेश्टी पत्तन टर्मिनल, चाबहार के विकास के लिए दीर्घकालिक मुख्य अनुबंध**
	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री की उपस्थिति में शाहिद बेहेश्टी पत्तन टर्मिनल, चाबहार के विकास के लिए दीर्घकालिक मुख्य अनुबंध, जो काफी वर्षों से लंबित था, पर इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड (आईपीजीएल) और ईरान के पत्तन और समुद्री संगठन (पीएमओ) के बीच 13 मई, 2024 को हस्ताक्षर किए गए। मंत्रिस्तरीय दौरे और दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से दोनों देशों के बीच संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे और इससे अफगानिस्तान और व्यापक मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार के लिए प्रवेश द्वार के रूप में चाबहार के महत्व का पता चलता है। चाबहार पत्तन परियोजना का विकास भारत-ईरान की एक प्रमुख परियोजना है और अनुबंध पर हस्ताक्षर किया जाना, मध्य एशिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (आईएनएसटीसी) खोलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2.5	**विश्व बैंक की सीपीपीआई 2023 रिपोर्ट**
	विश्व बैंक और एसएंडपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा विकसित सीपीपीआई 2023 में पत्तनों की कंटेनर जलयानों को प्राप्त करने और हैंडल करने की परिचालन दक्षता का मूल्यांकन किया जाता है। सीपीपीआई 2023 के नवीनतम संस्करण में भारत के 10 पत्तनों ने पहली बार वैश्विक शीर्ष 100 में जगह बनाई है। शीर्ष 100 में स्थान हासिल करने वाले महापत्तन विशाखापट्टणम (19), कामराजर (47), कोचीन (63), चेन्नै (80) और जवाहरलाल नेहरू (96) हैं। विशाखापट्टणम पत्तन प्राधिकरण (वीपीए) ने शीर्ष 20 रैंकिंग में स्थान हासिल करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। विशाखापट्टणम पत्तन ने भारत के अन्य सभी पत्तनों को पीछे छोड़ दिया और 2022 में 122वें स्थान से छलांग लगाकर 19वें स्थान पर पहुंच गया।
2.6	**अंतर्राष्ट्रीय समुद्री महिला दिवस**
	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने18 मई, 2024 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री महिला दिवस मनाया, जिसमें महिला नाविकों के महत्वपूर्ण योगदान का सम्मान किया गया। इस वर्ष का विषय, "सुरक्षित क्षितिज: समुद्री सुरक्षा के भविष्य को आकार देने में महिलाएँ", समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के महत्व को रेखांकित करता है। समारोह के दौरान, समुद्री क्षेत्र में विभिन्न डिग्री कार्यक्रम करानेवाले विभिन्न समुद्री संस्थानों की 27 महिला नाविकों और इस क्षेत्र की कुछ पेशेवरों को समुद्री उद्योग में उनके समर्पण और महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

2.7	**माननीय केंद्रीय मंत्री (पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग) द्वारा पारंपरिक ईंधन आधारित पत्तन टगों को ग्रीन टगों से बदलने हेतु जीटीटीपी के लिए एसओपी का शुभारंभ**
	माननीय पीएसडब्ल्यू मंत्री द्वारा 16 अगस्त, 2024 को नई दिल्ली में पारंपरिक ईंधन आधारित हार्बर टग से ग्रीन टग में संक्रमण के लिए ग्रीन टग संक्रमण कार्यक्रम (जीटीटीपी) हेतु एसओपी की शुरुआत की गई। यह 2023 में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा जारी किए गए समुद्री अमृत काल विजन 2047 के अनुरूप है, जिसमें वर्ष 2030 जीटीटीपी तक महापत्तनों के पत्तन जलयानों से जीएचजी उत्सर्जन में 30% की कमी की परिकल्पना की गई है और यह **'पंच कर्म संकल्प'** के तहत एक प्रमुख पहल है।
2.8	**महापत्तनों के श्रमिकों के लिए वेतन संरचना में संशोधन**
	28 अगस्त, 2024 को एक बड़ी सफलता के रूप में वार्ता के सफल समापन का संकेत देते हुए द्विपक्षीय वेतन वार्ता समिति (बीडब्ल्यूएनसी) और भारतीय पत्तन संघ (आईपीए) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन से वेतन संरचना के संशोधन में सुविधा होगी और यह पेंशन लाभ सहित अन्य सेवा शर्तों को संबोधित करता है। 01 जनवरी, 2022 से प्रभावी नए वेतनमान मौजूदा व्यवहार के अनुसार तैयार किए जाएंगे।
3	**पोत परिवहन**
3.1	माननीय राज्य मंत्री (पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग) द्वारा 05 मई, 2023 को वीओसी पत्तन, तूतीकोरिन से एमवी एमएसएस गैलेना को हरी झंडी दिखाकर भारत मालदीव शिपिंग सेवा शुरू की गई।
3.2	**समुद्री विकास निधि पर निवेशकों की बैठक**
	भारत के नौवहन उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न पहलों पर चर्चा करने के लिए पत्तन, पोत परिवहन ओर जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) ने 6 जून, 2024 को मुंबई में एक हितधारक बैठक आयोजित की। इस बैठक में एनआईआईएफ, आईएफएससी, एसबीआई, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ड्यूश बैंक और एचडीएफसी जैसे प्रमुख संस्थानों सहित घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और उधारदाताओं की विविध श्रेणी की भागीदारी देखी गई। आईएफएससीजीआईएफटी से बाहर आधारित संस्थानों की भी भागीदारी देखी गई। मंत्रालय ने प्रस्तावित समुद्री विकास कोष (एमडीएफ) की संरचना और प्रस्तावित जलयान स्वामित्व और पट्टा संगठन (एसओएलई) के कामकाज के लिए रूपरेखा प्रस्तुत की। एमडीएफ में निवेश करने और एसओएलई को उधार देने में रुचि का आकलन करने के लिए प्रतिभागियों से फीडबैक मांगा गया।
3.3	**अंतर्राष्ट्रीय यात्री नौका सेवा (भारत और श्रीलंका) की बहाली**
	मंत्रालय स्तर पर नियमित निगरानी और समन्वय के बाद 16.08.2024 को नागपट्टिनम (भारत) और कांकेसंथुराई (श्रीलंका) के बीच दोनों स्थानों में क्षेत्रीय संपर्क और पर्यटन को बढ़ाने के लिए नौका सेवा को सफलतापूर्वक पुनः शुरु किया गया।
3.4	**गिफ्ट सिटी में एससीआई के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का गठन**
	भारतीय नौवहन निगम ने 12 अगस्त, 2024 को अपने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) 'एससीआई भारत आईएफएससी लिमिटेड' को निगमित किया है, जिसका पंजीकृत कार्यालय गिफ्ट हाउस, गिफ्ट सिटी, गांधी नगर, गुजरात में है और इसे 23 सितंबर, 2024 **को "पंजीकरण प्रमाणपत्र**

	(सीओआर)" मिल गया है। डब्ल्यूओएस ने अपनी व्यावसायिक गतिविधियाँ भी शुरू कर दी हैं।
3.5	**सागरमंथन: द ग्रेट ओशन्स डायलॉग**
	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने ऑब्जर्वर्स रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) के साथ मिलकर 18-19 नवंबर, 2024 को नई दिल्ली में "सागरमंथन: द ग्रेट ओशन्स डायलॉग" का आयोजन किया था। इस संवाद में दुनिया भर के 60 देशों के 1700 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें मंत्री, पूर्व राज्य और सरकार प्रमुख, पत्रकार और विशेषज्ञ शामिल थे।
3.6	**2024के मानसून और शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में प्रस्तुत किए गए विधेयक**
	क. औपनिवेशिक मानसिकता को दूर करने के लिए संविधान-पूर्व भारतीय समुद्री माल परिवहन अधिनियम, 1925 को निरस्त करने के लिए **समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक, 2024** प्रस्तुत किया गया है। चूंकि 1925 का अधिनियम भारत के लिए प्रासंगिक है, इसलिए विधेयक में 1925 के अधिनियम के प्रावधानों को समझने में आसानी के लिए उनके सार/उद्देश्य में कोई परिवर्तन किए बिना सरल भाषा में बनाए रखा गया है, और 1925 के अधिनियम की अनुसूची को भी बरकरार रखा गया है। विधेयक में सरकार को विधेयक के प्रावधानों को लागू करने के लिए निर्देश देने, विधेयक की अनुसूची में संशोधन को अधिसूचित करने और कठिनाइयों को दूर करने के लिए आदेश को अधिसूचित करने का अधिकार देने वाले प्रावधान अंतर्विष्ट किए गए हैं ताकि प्रावधान का बेहतर प्रवर्तन हो। ख. औपनिवेशिक मानसिकता को दूर करने के लिए संविधान-पूर्व भारतीय वहन-पत्र अधिनियम,1856 को निरस्त करने के लिए **वहन-पत्र विधेयक, 2024** प्रस्तुत किया गया है। वहन-पत्र विधेयक, जोकि समुद्र के द्वारा माल के परिवहन के लिए शिपर्स को वाहक द्वारा या उसकी ओर से जारी किया जाने वाला एक परिवहन दस्तावेज है, को विनियमित करने वाले इस विधेयक में समझने में आसानी के लिए उनके सार और उद्देश्य में कोई बदलाव किए बिना 1856 अधिनियम के प्रावधानों को सरल भाषा में बरकरार रखा गया है। सरकार को विधेयक के प्रावधानों को लागू करने के लिए निर्देश देने का अधिकार देने वाले प्रावधान और एक निरसन एवं बचत खंड भी जोड़े गए हैं। ग. वाणिज्यिक और व्यापार पहलुओं, मुख्य रूप से भारत के तटीय व्यापार में संलग्न जलयानों के विनियमन के लिए एक ढांचा प्रदान करने हेतु **तटीय पोत परिवहन विधेयक, 2024** प्रस्तुत किया गया है। वाणिज्यिक पोत परिवहन विधेयक, 2024 के तहत वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के भाग XIV (इसमें धारा 411क को छोड़कर) के वाणिज्यिक और व्यापार संबंधी प्रावधानों को बनाए रखने के बजाय, तटीय पोत परिवहन विधेयक, 2024 में तटीय पोत परिवहन के संवर्धन के लिए वाणिज्यिक और व्यापार पहलुओं हेतु प्रावधान करने हेतु संशोधित प्रावधान शामिल हैं। घ. वैश्विक पोत परिवहन उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए **वाणिज्यिक पोत परिवहन विधेयक, 2024** प्रस्तुत किया गया है। वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की सीमाओं को दूर करने के लिए, विधेयक में अप्रचलित प्रावधानों को समकालीन प्रावधानों से प्रतिस्थापित किया गया है और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत भारत की अनिवार्य आवश्यकताओं से संबंधित प्रावधानों को समायोजित किया गया है। इसमें जलयानों और पत्तन सुविधाओं

	की सुरक्षा व संरक्षा, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने, समुद्री दुर्घटनाओं, मलबे और बचाव आदि के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया पर भी ध्यान दिया गया है। यहां इसमें दिए गए प्रावधानों से ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के लिए अनुपालन के भार में कमी आती है और विधेयक संक्षिप्त बन गया है।
4	अंतर्देशीय जलमार्ग
4.1	**अंतर्देशीय जलमार्गों से माल की आवाजाही**
	देश में आईडब्ल्यूटी आधारित माल ढुलाई वित्त वर्ष 14 में 18.1 एमएमटी से वित्त वर्ष 24 में 133.03 एमएमटी बढ़कर ~7x गुना हो गई है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 142 मिलियन टन के वार्षिक लक्ष्य के अनुरूप, अप्रैल से नवंबर 2024 के दौरान 94.81 मिलियन टन का परिवहन किया गया है, जबकि वित्त वर्ष 23 की इसी अवधि में 88.89 मिलियन टन का परिवहन किया गया था, अर्थात 6.66% की वृद्धि हुई है।
4.2	**कार्गो प्रोत्साहन योजना**
	माननीय मंत्री (पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग) द्वारा 15.12.2024 को आईडब्ल्यूटी कार्गो प्रोत्साहन योजना शुरू की गई, जिसका उद्देश्य कार्गो मालिकों द्वारा अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन क्षेत्र के उपयोग को बढ़ावा देने और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल (आईबीपी) के माध्यम से रा.ज.-1 और रा.ज.2 और रा.ज.-16 पर कार्गो आवाजाही के लिए निर्धारित सेवा स्थापित करने के लिए 35% प्रोत्साहन प्रदान करना है। इस योजना से 800 मिलियन टन किमी कार्गो को अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) माध्यम पर परिवर्तित करने की अपेक्षा है, जो कि राष्ट्रीय जलमार्गों पर 4700 मिलियन टन किमी के मौजूदा कार्गो का लगभग 17% है। इस योजना का उद्देश्य प्रदर्शन प्रभाव के लिए भारतीय नौवहन निगम (एससीआई) के माध्यम से भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) के जलयानों का उपयोग करके कोलकाता और वाराणसी/पांडु के बीच एक निर्धारित जलमार्ग कार्गो सेवा शुरू करना और जलमार्ग आवाजाही में कार्गो मूवर्स/मालिकों के विश्वास में वृद्धि करना है।
4.3	**कोलकाता में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद (आईडब्ल्यूडीसी) की पहली बैठक**
	08.01.2024 को, कोलकाता में पोत "गंगेस क्वीन" पर आयोजित आईडब्ल्यूडीसी की पहली बैठक में देश के अंतर्देशीय जलमार्गों की क्षमता बढ़ाने और व्यवहार्यता बढ़ाने के प्रयास में कई बातें पहली बार हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री ने की और इसमें 6 राज्यों के मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधित्व, 14 राज्यों के सचिवों द्वारा प्रतिनिधित्व के साथ ही नीति निर्माताओं और अग्रणी उद्योगपतियों सहित प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया। अंतर्देशीय जलमार्गों को देश में आर्थिक विकास और वाणिज्य के वाहक के रूप में सक्षम बनाने के उद्देश्य से बैठक में देश में नदी क्रूज पर्यटन के विकास के लिए 45,000 करोड़ रु. का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई गई। इसमें से अनुमानित 35,000 करोड़ रु. क्रूज जलयानों के लिए और अन्य 10,000 करोड़ रु. अमृत काल के अंत अर्थात 2047 तक क्रूज टर्मिनल अवसंरचना के विकास के लिए निर्धारित किए गए हैं। माननीय मंत्री ने कोलकाता में आईडब्ल्यूडीसी के उद्घाटन सत्र में 2047 तक 100% हरित जलयानों के उद्देश्य से **'हरित नौका' - अंतर्देशीय जलयानों के लिए हरित संक्रमण दिशानिर्देश** और 'रिवर क्रूज़ टूरिज्म रोडमैप, 2047' का भी उद्घाटन किया।
4.4	**वाराणसी में प्रथम हाइड्रोजन ईंधन प्रकोष्ठ जलयान की तैनाती**

	साइट पर परीक्षण करने और तदुपरांत परिचालन में लाने के लिए 14.07.2024 को वाराणसी में जलयान को तैनात किया गया।
5	दीपस्तंभ और दीपपोत
5.1	**दीपस्तंभ फोटो प्रदर्शनी**
	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन दीपस्तंभ और दीपपोत निदेशालय (डीजीएलएल) ने 3 से 7 मार्च, 2024 तक नई दिल्ली में दीपस्तंभ फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया। माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री द्वारा 3 मार्च, 2024 को उद्घाटन की गई इस चार दिवसीय दीपस्तंभ फोटो प्रदर्शनी का उद्देश्य दीपस्तंभ पर्यटन को बढ़ावा देना था। इस कार्यक्रम में भारत के विशाल समुद्र तट पर फैले दीपस्तंभों की सुंदरता और उनके ऐतिहासिक महत्व को दर्शाने वाले 100 चित्रों का संग्रह प्रदर्शित किया गया। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय देश में दीपस्तंभों को पर्यटन स्थल के रूप में रुपांतरित करने और ऐतिहासिक दीपस्तंभों को पर्याप्त सुविधाओं के साथ पुनर्निर्मित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
5.2	**अंडमान द्वीप के सुदूर पूर्वी तट पर रानी लक्ष्मीबाई शिला (मध्य समुद्र) पर दीपस्तंभ टॉवर की स्थापना।**
	डीजीएलएल ने अंडमान द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित रानी लक्ष्मीबाई शिला दीपस्तंभ का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। दीपस्तंभ टॉवर और एप्रोच स्ट्रक्चर (चरण-I) के निर्माण के लिए 32.82 करोड़ रु. की राशि मंजूर की गई है।